उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 2239 / VII-1 / 143–ख / 2010
देहरादून : दिनांकः 17 सितम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञाप

जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम उड़ियार में 6.58 एकड़ क्षेत्रफल में खनिज सोपस्टोन के प्रोस्पेक्टिंग कार्य हेतु प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस प्राप्त करने के लिए खनिज परिहार नियमावली, 1960 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदक श्री सुन्दर सिंह जनौटी पुत्र श्री दिवान सिंह जनौटी, ग्राम व पो0 जनौटी पाल्डी, जनपद बागेश्वर ने दिनांक 06.05.2003 को जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

जिलाधिकारी, बागेश्वर ने अपने पत्र संख्या 303 / तीस–23 / 2002–03, दिनांक 23.05.2003 के द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक श्री सुन्दर सिंह जनौटी के आवेदन पत्र की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी।

खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्र संख्या 119 / खनन / जि0टा0फो0 / 2003–04, दिनांक 23 जून, 2003 द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र में पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु जिलाधिकारी, बागेश्वर से अनुरोध किया गया।

प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, अल्मोड़ा ने अपने पत्र संख्या 380 / जि0टा0फो0 / खनन / 2003–04, दिनांक 16 मार्च, 2004 द्वारा आवेदन पत्र में पायी गयी कमियों (आवेदक द्वारा अद्यावत आयकर रिटर्न दाखिल किया है, आवेदक के ऊपर देय आयकर को आवेदक द्वारा जमा किया गया, आवेदक द्वारा अधिनियम, 1961 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वमूल्यांकन के आधार पर आयकर जमा किया है एवं आवेदित क्षेत्र का स्पष्ट चिन्हांकित, आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र जिसमें पैमाना व उत्तर दिशा तथा कम से कम दो संदर्भित बिन्दु अंकित हों। आवेदक द्वारा जो मानचित्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें उत्तर दिशा पैमाना व क्षेत्रफल अंकित नहीं है एवं न ही मानचित्र चिन्हांकित है। अतः क्षेत्र का स्पष्ट चिन्हांकित मानचित्र जिसमें उत्तर दिशा, पैमाना व क्षेत्रफल अंकित हो वांछित है) का निराकरण आवेदक से करवाने हेतु जिलाधिकारी, बागेश्वर एवं उप जिलाधिकारी, कपकोट से अनुरोध किया गया। आवेदक द्वारा इतनी लम्बी अवधि बीत जाने के उपरान्त भी आज तक आवेदन पत्र की कमियों के निराकरण सम्बन्धी कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही मानचित्र में आवेदित क्षेत्र चिन्हांकित है, जिससे आवेदित क्षेत्र की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। आवेदक अपने आवेदन पत्र में अब रूचि नहीं रखता है। अतः इस लम्बी अवधि से लम्बित चले आ रहे आवेदन पत्र को उक्त के आधार पर निरस्त करने की संस्तुति की गयी। तद्नुसार प्रश्नगत आवेदन पत्र का निस्तांरण नियमानुसार करवाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया।

खनिज परिहार नियामवली के नियम 63 A के अधीन प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस हेतु आवेदन पत्र के निस्तारण की अवधि 09 माह निर्धारित है। जबकि श्री सुन्दर सिंह जनौटी ने कमियों का निराकरण नहीं किया गया है।

आवेदक श्री सुन्दर सिंह जनौटी को खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम–12(1) के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्याः 1895/VII-1/143–ख/2010, दिनांक 06 सितम्बर, 2010 द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 2010 को अपराह्न 5:00 बजे सुनवाई में शासन के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। उक्त सुनवाई में जिलाधिकारी, बागेश्वर/उनके प्रतिनिधि तथा आवेदक स्वयं/उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए।

अतः आवेदक का आवेदन पत्र खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम 22 डी को दृष्टिगत रखते हुए नियम–63 A (B) के द्वारा निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने एवं नियम 22 डी के अन्तर्गत आवेदित क्षेत्र 4.00 हैक्टेयर से कम होने के कारण उनके प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 06.05.2003 को एतद्द्वारा अस्वीकृत/निरस्त किया जाता है।

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः2239 (1)/VII-1/143–ख/2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
2. ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, पोस्ट बड़ासी (कड़ई खाले), देहरादून को उनके पत्र संख्या 710/मु0ख0/18/खनन/भू0खनि0ई0/2010–11, दिनांक 21 जुलाई, 2010 के क्रम में।
3. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. श्री सुन्दर सिंह जनौटी पुत्र श्री दिवान सिंह जनौटी, निवासी ग्राम व पोस्ट जनौटी पाल्ड़ी, जनपद बागेश्वर।

आज्ञा से,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।